आलोचन मंडल
बनाम
अनिल तुलस्यान

पेज 14 फारम सं० 562

आदेश पत्रक

देखे अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

देश पत्रक सं० .... तक जिला धनबाद

(?)पी वाद संख्या .... 386/17 .... धारा ...... 144 द.प्र.सं.

तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अनुपालित
8.3.17	दं. प्र. सं. की धारा-144 के तहत थाना प्रभारी, बलियापुर अ. प्रा. सं. 04/17 दिनांक- 25-2-17 से प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन में दिया गया है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच भूमि विवाद है। जिसमें पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए दोनों पक्षों के विरूद्ध द. प्र. सं. की धारा-144 के तहत कार्रवाई करके प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की गई है।	
	पुलिस प्रतिवेदन का मैंने अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त विवाद को लेकर पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है, जिसका तुरंत रोका जाना नितान्त आवश्यक है।	
	अतः उभय पक्षो के विरूद्ध दं. प्र. सं. की धारा-144 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। कार्रवाई पर्यन्त 60 (साठ) दिनों तक प्रश्नगत भूमि पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि 20.3.17 को 10.00 बजे पूर्वा० में मेरे न्यायालय में निश्चित रूप से उपस्थित होकर अपना अपना कारणपृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं धारा-144 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा आपके विरूद्ध सम्पुष्ट किया जाय।	
	प्रश्नगत भूमि का विवरण	
	मौजा-अम्झार, मौजा नं०-35, खाता नं०-09, प्लोट नं०-151 रकवा-94 डी० चौहद्दी-उत्तर-गौरी मंडल, दंक्षिण-वीपिन नापिक, पुरब-नीज, पश्चिम-टुगरी एवं प्लोट नं०-152, रकवा-1.38 एकड़ चौहद्दी-उत्तर-गोदाई मंडल दक्षिण-दुलाली महतानी, पुरब-झाबु मियाँ, पश्चिम-पी० मंडल।	
	लेख ज्ञापित एवं संशोधित	
	अनुमंडल दण्डाधिकारी, धनबाद। — अनुमंडल दण्डाधिकारी, धनबाद।	

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.08.22 16:49:36 +05:30
Location: 192.168.29.44

Scanned with OKEN Scanner